भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2640

जिसका उत्तर मंगलवार, 11 अगस्त, 2026/20 श्रावण, 1948 (शक) को दिया गया

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी, अनर्जक आस्तियां (एनपीए) और अशोध्य ऋणों की वसूली

2640: श्री इमरान प्रतापगढ़ी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में बैंक धोखाधड़ी और अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में बढ़ोतरी की ओर ध्यान दिया है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अनर्जक आस्तियों (एनपीए), दर्ज किए गए धोखाधड़ी के मामलों और उनमें संलिप्त राशि का बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान अशोध्य ऋणों और धोखाधड़ी से संबंधित मामलों में बैंक-वार वसूल की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे धोखाधड़ी के मामलों और जानबूझकर चूक करने के लिए उत्तरदायी पाए गए अधिकारियों एवं उधारकर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ड.) जवाबदेही सुदृढ़ करने, ऋण वसूली तंत्र को अधिक प्रभावी बनाने और बैंक धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की सकल अनर्जक आस्तियां (जीएनपीए) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में घट रही हैं और 31 मार्च 2024 को ₹3,39,541 करोड़ के उच्च स्तर से घटकर 31.3.2026 को ₹2,45,634 करोड़ के निचले स्तर पर आ गई हैं। पीएसबी का जीएनपीए अनुपात भी 31.3. 2024 को 3.47% से घटकर 31.3.2026 को 1.93% हो गया है।

इसके अलावा, पीएसबी में पिछले तीन वर्षों में रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के मामलों की संख्या वित्तीय वर्ष 2023-24 में 54,850 मामलों से घटकर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 5,786 मामले रह गई है।

(ख) और (ग)**:** आरबीआई से प्राप्त सूचना के अनुसार**,** पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान वसूल की गई राशि सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों में एनपीए और सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सूचित धोखाधड़ी का ब्यौरा क्रमश **अनुबंध 1** और **अनुबंध 2** में दिया गया है।

(घ): धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाइयों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) जहां कहीं भी चूक**,** लापरवाही**,** कदाचार अथवा मिलीभगत साबित होती है**,** वहां अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय/अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की जाती है।

(ii) कदाचार की गंभीरता के आधार पर लागू सेवा नियमों के अंतर्गत दंड सहित समुचित प्रशासनिक कार्रवाइयां की जाती हैं।

(iii) आपराधिकता या मिलीभगत से जुड़े मामलों में, जहाँ भी आवश्यक हो, कानून प्रवर्तन एजेंसियों (सीबीआई/पुलिस/अन्य सक्षम प्राधिकारियों) के पास शिकायतें दर्ज की जाती हैं।

इसके अलावा**,** बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के लागू दिशा-निर्देशों और बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार धोखाधड़ी और जानबूझकर चूक करने में संलिप्त उधारकर्ताओं के विरुद्ध उचित कार्रवाई शुरू करते हैं। इन कार्रवाइयों में**,** अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निदेशों के अनुसार उधारकर्ताओं की पहचान की जाती है और उन्हें धोखाधड़ी/इरादतन चूककर्ताओं के रूप में घोषित किया जाता है।

(ii) आपराधिक शिकायतें कानून प्रवर्तन एजेंसियों (सीबीआई/पुलिस/अन्य सक्षम प्राधिकारियों) के पास दर्ज की जाती हैं**,** जहां कहीं आवश्यकता होती है।

(iii) किसी खाते को धोखाधड़ी या जानबूझकर डिफॉल्ट करने वाला घोषित किए जाने के बाद, बैंकिंग प्रणाली से नया फंड/अतिरिक्त ऋण लेने के संबंध में आरबीआई के मास्टर निर्देशों के तहत लागू दंडात्मक प्रावधान लागू हो जाते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान 5147 मामलों में कर्मचारियों की जवाबदेही तय की गई है जबकि धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार उधारकर्ताओं के विरुद्ध 9451 मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई है।

(ङ) पिछले कुछ वर्षों में सरकार और आरबीआई द्वारा जवाबदेही को सुदृढ़ करने, वसूली तंत्र में सुधार करने और बैंक धोखाधड़ियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कई उपाय किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय शामिल हैं –

(i) आरबीआई ने धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर दिनांक 31 जुलाई 2026 के अपने मास्टर निर्देशों के माध्यम से यह निर्धारित किया है कि बैंक अपनी आंतरिक नीति के अनुसार समयबद्ध तरीके से सभी धोखाधड़ी के मामलों में कर्मचारियों की जवाबदेही की जांच शुरू और पूरी करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कर्मचारियों की जवाबदेही की जांच करेंगे।

(ii) विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, बैठकों, कार्यशालाओं आदि के माध्यम से धोखाधड़ी के प्रति जागरूकता और इसकी रोकथाम पर कर्मचारियों को संवेदनशील बनाना।

(iii) सरकार और आरबीआई उपलब्ध विभिन्न वसूली तंत्रों को सुदृढ़ करने के लिए समन्वय में कार्य कर रहे हैं। इनमें दीवानी अदालतों या ऋण वसूली न्यायाधिकरणों में मुकदमे दायर करना, वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम के तहत कार्रवाई, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के तहत राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण में मामले दायर करना, बातचीत के जरिए समझौतों/सहमति के माध्यम से और गैर-निष्पादित आस्तियों की बिक्री के माध्यम से की जाने वाली कार्रवाइयां शामिल हैं।

(iv) आरबीआई के धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर दिनांक 31 जुलाई 2026 के मास्टर निर्देश, अनधिकृत/धोखाधड़ी वाले लेन-देन को रोकने के लिए अर्ली वार्निंग सिग्नल्स के ढांचे को मजबूत करने का प्रावधान करता हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, गैर-केवाईसी अनुपालन और मनी म्यूल खातों में लेन-देन/असामान्य गतिविधियों की निगरानी करने आदि शामिल हैं।

(v) आरबीआई द्वारा तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क जारी किया गया था, ताकि तनावग्रस्त आस्तियों की जल्द पहचान, रिपोर्टिंग और समयबद्ध समाधान के लिए एक ढांचा प्रदान किया जा सके, जिसमें उधारदाताओं को समाधान योजना जल्द अपनाने के लिए अंतर्निहित प्रोत्साहन शामिल है।

(vi) आरबीआई ने मनी म्यूल खातों की पहचान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित उपकरण 'म्यूलहंटर' प्रारंभ किया है और बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों को इसका उपयोग करने की सलाह दी है।

(vii) एआई/एमएल और बिग डेटा एनालिटिक्स सहित अत्याधुनिक तकनीकों, का लाभ उठाकर तेजी से बढ़ते डिजिटल भुगतान इको सिस्टम में वास्तविक समय में धोखाधड़ी का पता लगाने, उसे रोकने और उसका विश्लेषण करने के लिए भारतीय डिजिटल भुगतान आसूचना निगम (आईडीपीआईसी) का गठन किया गया है।

(viii) भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4सी) ने वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग करने और जालसाजों द्वारा धन की हेराफेरी को रोकने के लिए नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली (सीएफसीएफआरएमएस) पोर्टल को क्रियाशील किया है।

(ix) दिनांक 28 नवंबर 2025 के आरबीआई के अपने ग्राहक को जानो निर्देश, 2025 के अनुसार, बैंकों के लिए 'मनी म्यूल्स' के संचालन को कम करने के लिए खाते खोलने और लेन-देन की निगरानी के निर्देशों का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है, और ऐसे खातों की पहचान करने के लिए उचित सावधानी उपाय तथा गहन निगरानी करना आवश्यक है जो मनी म्यूल्स के रूप में संचालित किए जा रहे हैं और वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (एफआईयू-आईएनडी)को संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्ट करने सहित उचित कार्रवाई करना आवश्यक है।

अनुबंध 1

'सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी, अनर्जक आस्तियां (एनपीए) और अशोध्य ऋणों की वसूली के संबंध में दिनांक 11.08.2026 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं 2640 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध'

वित्त वर्ष 2023-24 से पीएसबी द्वारा रिपोर्ट किए गए एनपीए मामलों का विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

	सकल एनपीए (निम्न तारीख की स्थिति के अनुसार)	वसूली गई राशि	सकल एनपीए (निम्न तारीख की स्थिति के अनुसार)	वसूली गई राशि	सकल एनपीए (निम्न तारीख की स्थिति के अनुसार)	वसूली गई राशि
बैंक का नाम	**31-03-2024**	**वित्तीय वर्ष 2023-24**	**31-03-2025**	**वित्तीय वर्ष 2024-25**	**31-03-2026**	**वित्तीय वर्ष 2025-26**
बैंक ऑफ बड़ौदा	31,834	7,199	27,835	7,756	27,059	6,777
बैंक ऑफ इंडिया	29,183	7,720	21,749	9,769	15,306	9,383
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	3,833	1,610	4,185	1,816	4,246	1,886
केनरा बैंक	40,605	9,095	31,530	9,521	22,740	8,083
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	11,340	3,402	9,225	3,374	9,185	3,592
इंडियन बैंक	21,106	6,654	18,179	6,231	13,190	6,037
इंडियन ओवरसीज बैंक	6,794	3,614	5,348	3,342	4,410	3,131
पंजाब एंड सिंध बैंक	4,665	1,600	3,370	890	2,831	1,121
पंजाब नेशनल बैंक	56,343	13,206	44,082	9,931	37,124	9,658
भारतीय स्टेट बैंक	84,276	15,169	76,880	14,250	73,452	16,925
यूको बैंक	6,463	2,227	5,919	3,326	5,690	1,988
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	43,098	11,277	35,350	9,236	30,401	8,400

स्रोत: आरबीआई

अनुबंध 2

'सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी, अनर्जक आस्तियां (एनपीए) और अशोध्य ऋणों की वसूली के संबंध में दिनांक 11.08.2026 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं 2640 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध'

वित्त वर्ष 2023-24 से पीएसबी द्वारा रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के मामलों का विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

	2023-24			2024-25			2025-26		
बैंक	**धोखाधड़ी की संख्या**	**शामिल राशि**	**वसूल की गई राशि**	**धोखाधड़ी की संख्या**	**शामिल राशि**	**वसूल की गई राशि**	**धोखाधड़ी की संख्या**	**शामिल राशि**	**वसूल की गई राशि**
बैंक ऑफ बड़ौदा	12,063	399.53	12.45	3,774	591.79	9.60	778	3,676.80	270.07
बैंक ऑफ इंडिया	207	944.04	11.90	152	1,222.52	6.03	100	1,826.60	429.08
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	471	27.25	0.17	289	356.01	4.05	392	989.23	38.67
केनरा बैंक	152	421.38	11.39	636	3,139.76	14.68	514	6,436.23	19.47
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	2,401	173.14	8.42	1,003	117.34	2.43	86	584.98	2.07
इंडियन बैंक	6,059	206.43	9.16	2,169	2,091.15	954.93	187	1,195.07	3.99
इंडियन ओवरसीज बैंक	8,068	42.71	1.06	1,919	41.80	2.23	100	931.93	127.12
पंजाब एंड सिंध बैंक	244	20.44	0.71	246	381.45	0.50	38	1,646.08	772.31
पंजाब नेशनल बैंक	7,107	1,277.70	86.24	2,916	2,845.50	108.25	537	5,803.06	604.37
भारतीय स्टेट बैंक	14,739	2,787.03	18.41	13,834	7,573.77	32.63	2336	8,992.12	246.98
यूको बैंक	172	174.55	1.08	138	303.71	32.34	429	1,504.69	0.01
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	3,167	1,775.55	146.68	280	3,917.53	82.39	289	2,084.69	0.25

स्रोत: आरबीआई
